रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 1972/कार्तिक 9, 1894
No. 470] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 1972/KARTIKA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st October 1972

S.O. 685(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Indore Malwa United Mills Limited, Indore, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) is being managed in a manner highly detrimental to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the M.P. State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller to take over the management of the whole of the said undertaking, namely Indor Malwa United Mills Limited, Indore, subject to the following terms and condition, namely:—

(i) The Authorised Controller shall complex with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the official gazette of this notified order.

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official gazette.

[No. F. 3/21/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर 1972,

का० आ० 685(अ)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि०, इन्दौर का, जो एक ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जिसके सम्बन्ध में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई है, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित के लिए बहुत अहितकर है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त सम्पूर्ण उपक्रम अर्थात् इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लि० इन्दौर का प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(1) प्राधिकृत नियन्त्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ।

(2) प्राधिकृत नियन्त्रक इस अधिसूचित आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के लिए कार्यभार सम्भालेगा ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को इससे पूर्व रद्द कर सकती है ।

यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 3/21/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972